न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 941 / 2024

अनवान : –

1. बलराम पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंजू देवी पत्नी बलराम जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 81 / 306 की कुल 7.9810 हैक्ट भूमि में से 3501 / 39905 हिस्सा भूमि वादी स0 1 के व रौं मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 327 / 151 की कुल 4.8060 हैक्ट भूमि में से 3851 / 16020 हिस्सा भूमि व खातास0 262 / 247 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व खाता स0 198 / 298 की कुल 15.4410 हैक्ट भूमि में से 963 / 15441 हिस्सा भूमि वादीया स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम बलदेव पुत्र बुधरदास दर्ज है जबकि वादी स0 1 का वास्तविक व सही नाम बलराम पुत्र बुधरदास है तथा वादी स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मंजू देवी पत्नी बलवीर व मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास दर्ज है जबकि वादीया स0 2 का सही व वास्तविक नाम मुजू देवी पत्नी बलराम है जो की वादीगण के समस्त दस्तावेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादीगण मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण का सही नाम लालमोहम्मद है जबकि उपरोक्त ... नाम गलत दर्ज होने से वादीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादीगण का नाम क्रमशः बलराम पुत्र बुधर दास व मंजू देवी पत्नी बलराम है। रोही मौजा थिराना के खाता स0 303/249 में वादी स0 1 का नाम बलराम पुत्र बुधर दास व रोही मौजा थिराना के खाता स0 201/175 में वादीया स0 2 का नाम मन्जू देवी पत्नी बलराम सही दर्ज है इसी अनुसार वादीगण अन्य राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 81/306 की कुल 7.9810 हैक्ट भूमि में से 3501/39905 हिस्सा भूमि वादी स0 1 के व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 327/151 की कुल 4.8060 हैक्ट भूमि में से 3851/16020 हिस्सा भूमि व खातास0 262/247 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता स0 198/298 की कुल 15.4410 हैक्ट भूमि में से 963/15441 हिस्सा भूमि वादीया स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम बलदेव पुत्र बुधरदास दर्ज है तथा वादी स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मंजू देवी पत्नी बलवीर व मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास दर्ज है। वादीगण का कथन है कि वादी स0 1 का वास्तविक व सही नाम बलराम पुत्र बुधर दास है तथा वादी स0 2 का सही व वास्तविक नाम मुजू देवी पत्नी बलराम है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में वादीगण का नाम क्रमश बलराम पुत्र बुधर दास व मजू देवी पत्नीं बलराम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी रोही मौजा थिराना के खाता स0 303/249 में वादी स0 1 का नाम बलराम पुत्र बुधर दास व रोही मौजा थिराना के खाता स0 201/175 में वादीया स0 2 का नाम मन्जू देवी पत्नी बलराम दर्ज है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 81/306 की कुल 7.9810 हैक्ट भूमि में से 3501/39905 हिस्सा भूमि वादी स0 1 का नाम बलदेव पुत्र बुधरदास के स्थान पर बलराम पुत्र बुधर दास व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 327/151 की कुल 4.8060 हैक्ट भूमि में से 3851/16020 हिस्सा भूमि व खाता स0 262/247 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता स0 198/298 की कुल 15.4410 हैक्ट भूमि में से 963/15441 हिस्सा भूमि में वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास के स्थार पर मंजू देवी पत्नी बलराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि [illegible] किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम क्रमशः [illegible] वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्ही से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रमश बलदेव पुत्र बुधरदास व वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास ही लागु होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 941 / 2024

अनवान : –

1. बलराम पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. मंजू देवी पत्नी बलराम जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

–**वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 941 सन 2024 निर्णय दिनांक-03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 81/306 की कुल 7.9810 हैक्ट भूमि में से 3501/39905 हिस्सा भूमि वादी स0 1 का नाम बलदेव पुत्र बुधरदास के स्थान पर बलराम पुत्र बुधर दास व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 327/151 की कुल 4.8060 हैक्ट भूमि में से 3851/16020 हिस्सा भूमि व खाता स0 262/247 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता स0 198/298 की कुल 15.4410 हैक्ट भूमि में से 963/15441 हिस्सा भूमि में वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास के स्थार पर मंजू देवी पत्नी बलराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण के नाम क्रमश बलदेव पुत्र बुधरदास व वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्ही से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः क्रमश बलदेव पुत्र बुधरदास व वादीया स0 2 का नाम मंजू पत्नी बलराम, मन्जु देवी पत्नी बलवीर, मन्जु देवी पत्नी बीरबलदास ही लागु होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर